



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नर गजियाबाद दिनांक 08.10.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे व निशांदाही से 97 पेटी अवैध शराब व स्कूटी बरामद ।

दिनांक 07.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण 1. दिनेश कुमार उर्फ बबलू सिंह उर्फ दीपक पुत्र हुकम सिंह निवासी- मयूर विहार, फेस-3, पूर्वी दिल्ली, उम्र करीब 57 वर्ष 2. परशु सिंह पुत्र दिनेश सिंह, निवासी- मयूर विहार, फेस-3 पूर्वी दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे व निशांदाही से 97 पेटी अवैध शराब व स्कूटी बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 318(4)/61(2) बीएनएस आबकारी अधिनियम की धारा-60/72 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है । हमने ये पेटियां अलग-अलग जगह से खरीदकर अपने घर में स्टोर कर रखी थी तथा इस शराब को अधिक दामों पर बेचने गजियाबाद जा रहे थे । कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. दिनेश कुमार उर्फ बबलू सिंह उर्फ दीपक पुत्र हुकम सिंह निवासी- मयूर विहार, फेस-3, पूर्वी दिल्ली, उम्र करीब 57 वर्ष ।
2. परशु सिंह पुत्र दिनेश सिंह, निवासी- मयूर विहार, फेस-3 पूर्वी दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 97 पेटी अवैध शराब व स्कूटी बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सुतली बम पटाखे तथा अतिशबाजी पटाखे बनाने की सामग्री रखने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सुतली बम पटाखे व अतिशबाजी पटाखे बनाने की सामग्री बरामद ।

दिनांक 07.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अतिशबाजी पटाखे बनाने में संलिप्त अभियुक्त मौहम्मद कासिफ पुत्र मौहम्मद अनीस निवासी उपरकोट लोनी गजियाबाद मूल निवासी मोहल्ला मुन्नालाल मदीना मस्जिद के पास गढढो में थाना मवाना जनपद मेरठ, उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से सुतली बम पटाखे तथा

अतिशबाजी पटाखे बनाने की सामग्री बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर धारा 288/125 बीएनएस व धारा 9B(1)b विस्फोटक अधिनियम में पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मौ० कासिफ ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं तथा मेरे मामा पटाखे बनाने की सामग्री को दीपावली पर पटाखे बनाने के लिये लाये थे जिन्हे हम दीपावली पर बेचने के लिये बना रहे थे, जिसमे सुतली बम पटाखे तथा अतिशबाजी पटाखे बनाने की सामग्री थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद कासिफ पुत्र मौहम्मद अनीस निवासी उपरकोट लोनी गाजियाबाद मूल निवासी मोहल्ला मुन्नालाल मदीना मस्जिद के पास गढढो में थाना मवाना जनपद मेरठ, उम्र करीब 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मुन्तियाज पुत्र कालू निवासी अपरकोट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष।
2. नसीम पुत्र कालू निवासी अपरकोट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से सुतली बम पटाखे के कुल 72 पीस तथा 750 ग्राम गन्धक तथा 250 ग्राम पोटास व अतिशबाजी पटाखे बनाने की सामग्री बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण व 01

अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. रितिक 2. मुन्नी देवी 3. श्रीकृष्ण 4. रितिक के भाई द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मारपीट कर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 80(2), 85, 3(5) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1 श्रीकृष्ण पुत्र सुखलाल उम्र करीब 68 वर्ष 2. रितिक कुमार पुत्र अनिल कुमार उम्र 21 वर्ष 3. अमन पुत्र अनिल कुमार उम्र 19 वर्ष 4. मुन्नी देवी पत्नी श्रीकृष्ण उम्र करीब 60 वर्ष हाल पता खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मूल पता गांव - भूड़ पुरवा, थाना- ठठिया जिला- कन्नौज को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त रितिक ने बताया कि मेरी शादी करीब 05 माह पूर्व हुई थी। मैं व मेरे परिवार वाले शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों से शादी में दहेज कम देने को लेकर नाखुश थे तथा मैंने व मेरे घरवालों ने मेरे ससुराल वालों से 01 कार दहेज में मांगी थी जो उन लोगों के द्वारा नहीं दी गयी थी। इसी बात को लेकर मैंने व मेरे घरवालों ने मेरी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे गुस्से में आकर उसके द्वारा फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. श्रीकृष्ण पुत्र सुखलाल हाल पता खानपुर जमी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मूल पता गांव - भूड़ पुरवा, थाना- ठठिया जिला- कन्नौज उम्र करीब 68 वर्ष।
- 2- रितिक कुमार पुत्र अनिल कुमार हाल पता खानपुर जमी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मूल पता गांव - भूड़ पुरवा, थाना- ठठिया जिला- कन्नौज उम्र 21 वर्ष।
- 3- अमन पुत्र अनिल कुमार हाल पता खानपुर जमी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मूल पता गांव - भूड़ पुरवा, थाना- ठठिया जिला- कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष।
4. मुन्नी देवी पत्नी श्रीकृष्ण हाल पता खानपुर जमी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मूल पता गांव - भूड़ पुरवा, थाना- ठठिया जिला- कन्नौज उम्र करीब 60 वर्ष समस्त निवासीगण गाँव - भूड़ पुरवा, थाना - ठठिया, जिला – कन्नौज।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सदोष मानव वध में वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

आज दिनांक 08.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. बबलू 2. जमशेद 3. छोटू निवासीगण कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादिया के पति के साथ टंकी में पानी भरने को लेकर गाली गलौज करते हुए लात घूसों से मारपीट करना जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-105/115(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. मौहम्मद बबलू पुत्र मौहम्मद शुबराती निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष 2. मौहम्मद छोटू पुत्र मौहम्मद तैय्यब निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम

विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 3. मौहम्मद जमशेद पुत्र मौहम्मद तैय्यब निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों तथा मृतक मौ० आलम कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी में किराये के मकान में काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हम तीनों का टंकी में पानी भरने को लेकर मृतक मौ० आलम से विवाद व लड़ाई झगड़ा हो गया था जिस कारण मौ० आलम को काफी चोट लग गयी व अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. मौहम्मद बबलू पुत्र मौहम्मद शुबराती निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष।
2. मौहम्मद छोटू पुत्र मौहम्मद तैय्यब निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।
3. मौहम्मद जमशेद पुत्र मौहम्मद तैय्यब निवासी लालू विहार 25 फुटा रोड मक्का मस्जिद के पास कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 08.10.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रमीज पुत्र जमीर अहमद निवासी सिद्धकी पार्किंग वाली गली चित्रकूट संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना साहिबाबाद क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना साहिबाबाद पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यावही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल कुछ माह पहले जीटी रोड से चोरी की थी। आज मैं इसे बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रमीज पुत्र जमीर अहमद निवासी सिद्धकी पार्किंग वाली गली चित्रकूट संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना विजय नगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 01 किलो 151 ग्राम अवैध चरस बरामद।

दिनांक 07.10.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा ‘ऑपरेशन प्रहार’ के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान ग्रीन वेल्ड रोड़ शक्ति खण्ड 04 झुग्गी झोपड़ी के पास से अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.अन्नू पुत्र बाबूलाल निवासी झुग्गी झोपड़ी शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम नकरा थाना राठ जिला महोबा उत्तर प्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष 2. गुन्नू उर्फ गणेश पुत्र स्व0 मूलचन्द्र सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम मामुन थाना मातकुआ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 01 किलो 151 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध चरस हम दिल्ली से एक व्यक्ति से लेकर आते हैं जिसका नाम पता हमें मालूम नहीं है। इस चरस की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर चलते-फिरते नशे के आदी लोगों को बेचकर लाभ अर्जित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अन्नू पुत्र बाबूलाल निवासी झुग्गी झोपड़ी शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम नकरा थाना राठ जिला महोबा उत्तर प्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष ।

2. गुन्नू उर्फ गणेश पुत्र स्व० मूलचन्द्र सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम मामुन थाना मातकुआ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से 01 किलो 151 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उक्त मादक पदार्थ चरस बरामदगी के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 28.08.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के भाई अयान उम्र करीब 17 वर्ष को दिनांक 27.08.2026 को रात्रि में शहजाद व वसीम अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए तथा लिफ्ट वाले रास्ते पर जो मेट्रो स्टेशन शहीद नगर से आता है, वहां पर पहुंचे जहां पर सुहैल, मानू, अजीम तथा अन्ना व बल्लू पुत्र हाजी इसरान व अन्य लड़के खड़े थे जहां पर शहजाद ने मोटरसाइकिल रोक दी थी । सुहैल, मानू, अजीम, अन्ना व बल्लू ने अयान को पकड़ लिया तथा मोटरसाइकिल से खींच लिया । इन सभी ने वादी के भाई अयान को पकड़कर सीने में चाकू मार दिया और मौके से भाग गए । वादी के भाई अयान को अस्पताल ले गये जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

दिनांक 07.10.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त हत्या की घटना में संलिप्त नामजद अभियुक्त शहजाद पुत्र अफजाल निवासी जयपाल चौक के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को थाना साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 27.08.2026 को मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा था। मृतक अयान और मानू दोनों ही मेरे दोस्त थे, अयान और मानू में कुछ दिन पहले आपस में किसी बात को लेकर झगडा हो गया था तो मानू ने मुझसे अयान को बुलवाया था मैं और वसीम अयान को लेकर शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे तो पहले से चाकू लिये खड़े सुहैल और मानू पठान उर्फ अरमान और अज़ीम खान व अन्ना उर्फ अयान व बल्लू उर्फ फरहान ने अयान पर चाकू से हमला किया था। चंदू और दानिश वहीं पर खड़े थे। अयान के गम्भीर चोटें आयी और मैं घबराकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया था। बाद में मुझे पता चला कि अयान की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :-

शहजाद पुत्र अफजाल निवासी जयपाल चौक के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध हुक्का बार चलाने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से 07 हुक्के, 10 पाइप, 06 चिलम व फ्लेवर तम्बाखु के बड़े व छोटे पैकेट/डब्बे, 27 हुक्का तैयार करने वाले कोयले के दो डब्बे, काउंटर से प्राप्त एक बिल बुक, 04 मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.10.2026 को शान्ति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि० के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एस्टोरिया ब्लूबोर्ड के बेसमेन्ट में कैफे स्टल के संचालक द्वारा अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का परोसा जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र सै० 3 राजनगर स्थित एस्टोरिया ब्लूबोर्ड के बेसमेन्ट में कैफे स्टल के पास हम पुलिस वाले सीढ़ियों से नीचे उतर कर बेसमेन्ट में आए तो देखा कि कई लोग अलग अलग टेबलों के किनारे अगल बगल बैठे हैं और बीच में टेबल पर हुक्का रखा है तथा जिससे बारी बारी से हुक्का पी रहे हैं। जिसका धुआँ कैफे के हाल व सीढ़ियों तक फैला हुआ था हम पुलिस वालों को देख कर हुक्का कैफे संचालन करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सोर मचाते हुए बाहर की ओर भागा और तेज आवाज में कहने लगा कि पुलिस आगयी है भगो इसी बीच भगदड़ में कुछ लोग वहाँ से भाग गये तथा उनमें से चार व्यक्ति 1.मुकुल पुत्र ब्रिजेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी म०न० 28 ई ब्लॉक नन्दग्राम

गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 2. मोहम्मद गुल्लू पुत्र मो0 फिरोज उम्र 22 वर्ष निवासी पटेल नगर सेकेन्ड पुलिस चौकी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 3. दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी मालीवाडा बसन्त चौक मकान नं0 102 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 4. देवेन्द्र पुत्र राम मनोहर प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी कृष्णा नगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को जिनके हाथ में हुक्के थे और वह उसमें तम्बाखू भर कर तैयार कर रहे थे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में सभी अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि सर हम लोग तो यहाँ हुक्का लगाने व परोसने का काम करते हैं। पैसे व बिल का काम हमारा मालिक करता है जो की हमारे साथ तम्बाकू व हुक्का आदि भी परोस्ता है। जो अभी अभी आपको देख कर भाग गया वही सारे पैसे आदि भी लेकर भाग गये हैं। जो लोग टेबल पर बैठे थे वह कस्टमर थे जो मेरे मालिक के आवाज देते व आपके आने पर यहाँ से भाग गये हैं। हुक्का तैयार करने की अन्य सामग्री एक कोने में फ्रिज के पास रखी है। तथा शेष हुक्के भी वहीं रखे हैं।

अभियुक्त का नाम पता-

1. मुकुल पुत्र ब्रिजेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी म0न0 28 ई ब्लॉक नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. मोहम्मद गुल्लू पुत्र मो0 फिरोज उम्र 22 वर्ष निवासी पटेल नगर सेकेन्ड पुलिस चौकी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
3. दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी मालीवाडा बसन्त चौक मकान नं0 102 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
4. देवेन्द्र पुत्र राम मनोहर प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी कृष्णा नगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

बरामदगी

- 07 हुक्के
- 10 पाइप
- 06 चिलम व फ्लेवर तम्बाखु के बड़े व छोटे पैकेट/डब्बे
- 27 हुक्का तैयार करने वाले कोयले के दो डब्बे
- काउंटर से प्राप्त एक बिल बुक
- 04 मोबाईल फोन

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम ।

